

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:—296 / 2024 / 225 आर.टी.एक्ट (2024 / 296)

- विष्णुदत्त पुत्र शिवराज, जाति ब्राह्मण, निवासी बरल द्वितीय, तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर।

अपीलांत

बनाम

- श्रीमती मधू पत्नी सुशील कुमार खटोड, जाति जैन, निवासी बजरंग कॉलोनी, तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर।
- नन्धूमल पुत्र आलूमल
- भोजराज पुत्र आलूमल, मृतक जरिए विधिक वारिसान:—
 - 3/1 जीतू आसवानी पुत्र भोजराज,
 - 3/2 सती देवी पत्नी भोजराज,
 - 3/3 दिलीप आसवानी पुत्र भोजराज, मृतक जरिए विधिक वारिसान:—
 - 3/3/1 साहिल पुत्र दिलीप आसवानी
 - 3/3/2 मोनिका पुत्री दिलीप आसवानी
 - 3/3/3 सपना पत्नी दिलीप आसवानी
 - 3/4 परमेश्वरी पुत्री भोजराज
 - 3/5 माया पुत्री भोजराजसमस्त जाति सिंधी, निवासीगण सिंधी कॉलोनी, बिजयनगर, तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर।
- राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, बिजयनगर जिला ब्यावर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध निर्णय दिनांक 16.10.2024 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर राजस्व वाद संख्या 37 / 2024 (2024 / 136).

उपस्थित:—

- श्री शंकरलाल जाट अभिभाषक अपीलांत
- श्री रूपक शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
- श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 4
- रेस्पोडेंट संख्या 2, 3/1 से 3/5 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक:—04.08.2025

- यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 37 / 2024 (2024 / 136) में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2024 के विरुद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने वर्तमान अपीलांट व शेष रेस्पोंडेंटस के विरुद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला ब्यावर के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 16.10.2024 पारित कर रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 37/2024 (2024/136) में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोंडेंट संख्या 2, 3/1 से 3/5 अनुपस्थित।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने विवादित निर्णय दिनांक 16.10.2024 बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये, अपीलांट को बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये, पारित किया गया है। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने विवादित निर्णय दिनांक 16.10.2024 को पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजरअन्दाज किया कि रेस्पों सं० 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शे अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने का निवेदन किया था। जबकि रेस्पों सं० 1 के पास अपनी आराजी पर आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता पूर्व से मौजूद है। इसलिये विधिक प्रावधानों के अनुसार वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के कारण सुविधा के आधार पर नया रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर भारी विधिक त्रुटि कारित की है। जो कि इस अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। यह सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने विवादित निर्णय दिनांक 16.10.2024 को पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजरअन्दाज किया कि अपीलांट को उक्त प्रकरण की जानकारी होने पर उसके अधिवक्ता ने पेशी दिनांक 16.10.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपीलांट की ओर से अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अण्डरटेकिंग को निरस्त कर उसी दिन रेस्पों सं० 1 की एक तरफा बहस सुनकर विवादित निर्णय दिनांक 16.10.2024 पारित कर दिया। यदि अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया होता तो अपीलांट अपने विरुद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को मन्सुख कराता और उक्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करता और न्यायालय को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराता। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं पत्रावली पर उपलब्ध उक्त समस्त विधिक तथ्यों को नजरअन्दाज करके विवादित निर्णय दिनांक 16.10.2024 पारित किया है। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने विवादित निर्णय दिनांक 16.10.2024 को पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को

नजरअन्दाज किया कि जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में उसकी पीठ पीछे तैयार की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने बाबत अपीलांट को उपस्थित होने के लिये किसी प्रकार का कोई नोटिस या सूचना प्रदान नहीं की गई। जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसरण में उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार या आई एल आर के द्वारा मौके पर जाकर उभय पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किये जाने का आज्ञापक प्रावधान है। इसलिये उक्त प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार किये जाने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं की जा सकती है। वास्तविकता यह है कि तहसील कार्यालय में बैठकर ही प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार ही रेस्पो० सं० 1 के पक्ष की मनमानी रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई और इसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित कर दिया। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने विवादित निर्णय दिनांक 16.10.2024 को पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजरअन्दाज किया कि जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, वह मौका रिपोर्ट राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्धारित परफॉर्म/प्रारूप में नहीं है और ना ही नियम 68 से 70 की पालना की गई है। यह मौका रिपोर्ट एक साधे कागज में प्रार्थना पत्र के रूप में तैयार की गई है, जो कि एक अधूरी रिपोर्ट है। जिस पर ना तो अपीलांट के हस्ताक्षर हैं और ना ही रेस्पोडेण्ट्स के हस्ताक्षर हैं और ना ही किसी गवाहान या गांव के मौतविरान व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं। जो कि अपने आप में प्रथम दृष्टया ही सन्देहास्पद है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त विधिक तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुये विवादि निर्णय दिनांक 16.10.2024 पारित कर दिया। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने विवादित निर्णय दिनांक 16.10.2024 को पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजरअन्दाज किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 68, 69 व 70 के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विवादित निर्णय दिनांक 16.10.2024 पारित किया है। क्योंकि नियम 69 व 70 में यह स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान प्रावधित किया गया है कि मौका रिपोर्ट पक्षकारों को विधिवत नोटिस तामील करवाकर एवं उनकी उपस्थिति में ही तैयार कर प्रस्तुत की जायेगी और उक्त मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर न्यायालय का दायित्व है कि वह पक्षकारों वह मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर पक्षकारों से उक्त मौका रिपोर्ट पर आपत्तियां आमंत्रित करेगा। चाहे कोई पक्षकार आपत्ति प्रस्तुत करे या नहीं करे, न्यायालय को आज्ञापक प्रावधानों की पालना में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जायेगा। न्यायालय यह कहकर इतिश्री नहीं कर सकता है कि किसी पक्षकार द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समय नहीं चाहा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विवादित निर्णय दिनांक 16.10.2024 पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने विवादित निर्णय दिनांक 16.10.2024 को पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजरअन्दाज किया कि अपीलांट की खातेदारी आराजी ख०नं० 701 में से जो नया रास्ता दिया गया है, उस रास्ते के सटता हुआ ख०नं० 700 स्थित है, यदि अधीनस्थ न्यायालय को नया रास्ता देना उचित लगता था, तो उन्हें उक्त ख०नं० 700 के खातेदारों को भी पक्षकार बनाते हुये उन्हें सुनकर उक्त ख०नं० 700 व 701 की बीच की मेड से दोनों खसरा नम्बरान की आराजी में

से दोनों तरफ से बराबर बराबर भूमि लेकर रास्ता देना चाहिये था। केवल मात्र अपीलांट की खातेदारी आराजी ख०न० 701 में से रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध उक्त समस्त विधिक तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुये विवादित निर्णय दिनांक 16.10.2024 पारित करने में भारी विधिक भूल की है। जो कि अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने विवादित निर्णय दिनांक 16.10.2024 को पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजरअन्दाज किया कि रेस्पों सं० 1 की आराजी पर जाने के लिये पूर्व से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। जिस पर से वह अपनी आराजी पर आता जाता है तथा अपीलांट की आराजी में से होकर रेस्पों सं० 1 अपनी आराजी पर कभी नहीं आया गया है। यदि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया होता तो अपीलांट न्यायालय को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराता। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में विवादित निर्णय दिनांक 16.10.2024 पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है, जो इस अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 37/2024 (2024/136) में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अपील में अंकित तथ्य जिस प्रकार अंकित है वास्तविकता के विपरित होने से अस्वीकार होकर अपील ठोस आधारों पर प्रस्तुत ना होने के साथ ही कानून सम्मत ना होने से सब्यय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड से अपील न्यायालय को स्पष्ट होगा कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के यहां दिनांक 21/3/2024 को धारा 251 (क), (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिस पर जॉच रिपोर्ट होकर दिनांक 22/3/2024 को अप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। जिस पर जारी नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जरिए रजिस्टर्ड डाक दिनांक 05/04/2024 से अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 3 को प्रेषित किये गये तथा दस्ती नोटिस अप्रार्थी संख्या 4 श्रीमान् भू धारक को दिनांक 8/4/2024 को व्यक्तिगत तामिल करवाये गये। जिसके पश्चात नियत पेशी 02/05/2024, 30/05/2024, 29/08/2024, 04/10/2024, पर अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। दिनांक 4/10/2024 को प्रार्थीया के अधिवक्ता व परोकार सरकार की उपस्थिति में अपेक्षित रिपोर्ट पेश की गई लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से कोई हाजिर नहीं होने से उन्हें आवाजे लगवाई गई और आदेश 5 नियम (9) (5) जाप्ता दिवानी के परन्तुक के अनुसार विधि सम्मत उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किये गये और पत्रावली बहस हेतु दिनांक 16/10/2024 को प्रस्तुत होने पर बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन कर न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार प्रार्थना पत्र धारा 251ए स्वीकार करते हुए विस्तृत आदेश पृथक टाईप करवा कर न्यायालय मोहर से शामिल मिसल किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम

की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16/10/2024 न्याय नियम विधि के अनुसार विधिसम्मत होने से अपील निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपीलान्टस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना करते हुए उक्त निर्णय पारित किया है। अपील में अंकित कथन वास्तविकता के विपरित होने से तथा राजस्व रेकार्ड के विपरित होने से माने जाने योग्य नहीं है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/प्रार्थीया की आराजी में आने व जाने का कोई भी वैकल्पिक रास्ता मौजूद न होने से न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16/10/2024 विधि सम्मत होने से अपील सव्यय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में जारी आदेश कमांक कोर्ट/2024/73 दिनांक 13/05/2024 से प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 4 श्रीमान् तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम बरल-।। तहसील बिजयनगर की भूमि खसरा संख्या 705 के आवागमन हेतु धारा 251 के तहत रास्ता हेतु 1 से लगायत 6 बिन्दुओं पर टिप्पणी भेजने हेतु नियमानुसार आदेशित किया गया और मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस पर नियमानुसार संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाकर दिनांक 27/05/2024 को पटवारी हल्का बरल ।। के द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर नजरी नक्शा संलग्न करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में बिन्दुवार रिपोर्ट तहसीलदार के यहाँ प्रस्तुत की गई जिस पर कार्यालय तहसीलदार बिजयनगर जिला ब्यावर, के जवाब पत्र कमांक/भू.अ./2024 /2354 दिनांक 31/05/2024 से उपरोक्त बिन्दुओं पर पटवारी रिपोर्ट के अनुसार मूल पत्रावली, नक्शा ट्रेस, पटवारी रिपोर्ट, जमाबन्दी, डीएलसी दर की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यायालय ने अपनी शक्तियों के तहत काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार ही जाँच व सुनवाई करते हुए विधि सम्मत निर्णय दिनांक 16/10/2024 पारित किया है एवं रेस्पोंडेन्ट ने जानबुझ कर प्रकरण में अपनी उपस्थिति नहीं दी व ना ही उन्हें इस अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर पश्नचिन्ह लगाने का कोई अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय से मौजूदा अपील से सम्बन्धित पत्रावली के समस्त दस्तावेजातों के अवलोकन से श्रीमान् को स्पष्ट होगा कि जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 में वर्णित खसरा संख्या 705 की आराजी प्रार्थीया/रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की है। उक्त आराजी के पूर्व में स्थित भूमि खसरा संख्या 1901/702 अप्रार्थी संख्या 2/अपीलान्ट संख्या 2 सहित अप्रार्थी संख्या 3 (अब मृतक) के नाम दर्ज होकर खसरा नं. 701 अप्रार्थी संख्या 1/अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज होकर तहसीलदार बिजयनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से प्रार्थीया की भूमि में आने व जाने हेतु खसरा नं. 701 व 1901/702 का उपयोग किया जा रहा है और प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि में आने जाने का कोई अन्य मार्ग नहीं है और मुख्य सड़क तक पहुँचने में सुविधाजनक आसान रास्ता उपरोक्त खसरा में होना दर्शाया गया है। फलस्वरूप डीएलसी राशि की दुगनी राशि प्रार्थीया से अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 3 को नियमानुसार अदा करने अन्यथा नियमानुसार राजकोष में उक्त राशि जमा कराने व इस के पश्चात रास्ते की भूमि को आम रास्ता सिवायचक राजस्व अभिलेखों में अंकित व राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के आदेश अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार बिजयनगर को उक्त निर्णय दिनांक 16/10/2024 से दिये गये जिसके पश्चात प्रार्थीया के द्वारा दिनांक 05/11/2024 से उक्त निर्णय की पालना में

तहसीलदार बिजयनगर के समक्ष लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त निर्णय की पालना में राशि जमा कराने व पालना रिपोर्ट से अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करवाने की प्रार्थना की गई। जिस पर तहसीलदार बिजयनगर के सूचना पत्र क्रमांक भू.अ./2024/5040-41 दिनांक 21/11/2024 के द्वारा सम्बन्धित भू.अ. निरीक्षक एवं पटवार हल्का को प्रार्थीया से रास्ते के एवज में 6,47,000/- अक्षरे छः लाख सैतालीस हजार रुपये अप्रार्थीगण को वितरित करने हेतु आदेशित किया गया था लेकिन उनके द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगणों ने राशि लेने से मना किया है। अतः तहसीलदार बिजयनगर के सूचना पत्र क्रमांक 5269 दिनांक 02/12/2024 से उक्त राशि दिनांक 03/12/2024 को राजकोष में जमा की जाकर निर्णय दिनांक 16/10/2024 की पालना अक्षरक्ष की जा चुकी है और राजस्व अभिलेखों में भी नामान्तरण संख्या 3298 दिनांक 3/12/2024 से न्यायालय आदेश प्रक्रियाधीन है। ऐसी स्थिति में भी न्याय, साम्य व सद्विवेक के सिद्धान्तानुसार भी मौजूदा अपील बदनियती व श पेश किया जाना प्रमाणित है अतः भी सव्यय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांत की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोंडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 16.10.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वर्तमान रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांत द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 22.03.2024 को दर्ज किया गया। तत्पश्चात प्रकरण आगामी पेशी दिनांक में नियत रहा। प्रकरण में दिनांक 04.10.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में दिनांक 16.10.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के अभिभाषक द्वारा यू0टी0 प्रस्तुत की गई, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका में यह अंकित किया गया कि " अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के विरुद्ध दिनांक 04.10.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत की गई यू0टी0 को खारिज किया जाता है व प्रकरण में एकपक्षीय बहस सुनकर प्रकरण में दिनांक 16.10.2024 को प्रार्थी/रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए।"

उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलांत को प्रकरण में समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना निर्णय पारित किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांत/अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा यू0टी0 प्रस्तुत की गई थी तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा [अपीलांत/अप्रार्थीगण](#) को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस को सुनते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के न्यायसंगत आदेश

पारित किए जाने चाहिए थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों के विरुद्ध जाकर जिस दिन [अपीलांट/अप्रार्थीगण](#) के अभिभाषक द्वारा यू0टी0 प्रस्तुत की गई उसी दिनांक को एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि [अपीलांट/अप्रार्थीगण](#) को प्रकरण में समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो [अपीलांट/अप्रार्थीगण](#) प्रकरण से संबंधित मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करते व अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण से संबंधित वास्तविक तथ्यों से अवगत कराते परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा [अपीलांट/अप्रार्थीगण](#) को न्यायहित में अवसर प्रदान नहीं किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 27.5.2024 को पटवारी हल्का बरल द्वितीय द्वारा तैयार की जाकर तहसीलदार विजयनगर को दिनांक 31.5.2024 को प्रेषित की गई है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 16.10.2024 को एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट के संबंध में [अपीलांट/अप्रार्थीगण](#) को कोई सूचना अथवा नोटिस प्रदान किया गया हो इस बाबत पत्रावली में कहीं कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के तहत मौका रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार या आई0एल0आर द्वारा बनाया जाना आज्ञापक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 69 की पालना किए बिना ही मौका रिपोर्ट बनाई जाकर उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है। उक्त मौका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर भी उपलब्ध नहीं है व ना ही उक्त मौका रिपोर्ट किन मौतबिरान व्यक्तियों के समक्ष बनाई गई उसका भी कोई अंकन नहीं है। जबकि नियम 69 के तहत मौका रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बनाई जाना आज्ञापक है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक बिंदु की पालना किए बिना ही प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का बरल द्वितीय द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग बाबत भी किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं किया गया है जबकि मौका रिपोर्ट बनाते समय यह आवश्यक है कि प्रकरण से संबंधित भूमि में पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग मौजूद है या नहीं उसका अंकन किया जाना आवश्यक है, परंतु उक्त मौका रिपोर्ट में इस बाबत कहीं कोई अंकन नहीं किया गया है।

न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 687:- RAJASTHAN TENANCY ACT 1955- Section 251A Rajasthan Tenancy Act and (government) Rules 1955. Rule 69- Order regarding way passed without Comliance of mandatory provision of rule 69 is not maintainable.

उक्त प्रकरण में नियम 69 की पालना नहीं की गई है, उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार या आई0एल0आर द्वारा तैयार की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई है। उक्त प्रकरण पर न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 687 पूर्णरूप से चर्चा होते है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक व तकनीकी त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला

ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 37/2024 (2024/136) में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसारेण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.08.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर